

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन

रा.प्र.क 26 /वी-121/23-24

प्रारूप दो

देखिये नियम 3 (4)

:: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति / फर्म / कंपनी / सोसाईटी जिसके व्यौरे नीचे दिष्ट गऱु है मध्यप्रदेश पंचायत राज्य ँयं गाम स्वरज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) ओर मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2013 के उपबंधों के अधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है अर्थात -

मां रेवा बिल्डर्स ँंड डेव्लोपर्स पार्टनर-श्री विष्णु प्रसाद आओ श्री जयराम मारन निवासी बी0ऱुच0 28 सुखालिया जिला इन्दौर ँयं श्री अमित नाहर पिता डा0 नवीन नाहर निवासी बी0ऱुच0 29 सुखालिया इन्दौर

नगर/कस्या ग्राम पंचायत - पडोनिया तहसील - गोहरगंज जिला रायसेन

रजिस्ट्रीकरण के निर्बन्धन तथा शर्तें निम्नानुसार होगी :-


- (1) यह रजिस्ट्रीकरण जिले तक सीमित है । रजिस्ट्रीकरण 5 वर्ष तक वैध माना जावेगा
- (2) कालोनाईजर को प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देनी होगी ।
- (3) विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी ।

टिप्पण- कालोनी का विकास उसका विकास कार्य भूखण्डों / भवनो का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किऱु गऱु अनुसार प्राप्त की गई है ।

स्थान- गोहरगंज

तारीख - 04.05.2023




अनुविभागीय अधिकारी
(अनुविभागीय अधिकारी)
गौहरगंज, जिला रायसेन